मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

फरीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो के लिये बजट में न कोई पैसा रखा गया है और न ही रखा जायेगा 2
सत्तासीनों ने झूठे वायदे कर जनता के साथ किया धोखा 4
रामलीला मैदान से किसानों ने मोदी सरकार को लताड़ा, ललकारा 5
नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या इस्लाम को चुनौती देने की वजह से लगाई गई थी आग? 6
भ्रष्ट अफसरों की रिपोर्ट पर खुश हैं सीएम खट्टर 8

वर्ष 37 | अंक 20 | फरीदाबाद | 26 मार्च-1 अप्रैल 2023 | फोन-8851091460 | ₹5.00

वर्दी की गुंडागर्दी, वीडियो बनाने पर युवक को थाने में पीटा

फ़रीदाबाद मज़दूर मोर्चा। वर्दी के रौब और थानेदारी की मद में चूर एसएचओ आदर्शनगर कुलदीप कुमार ने थाने पर आए युवक को पटक कर पीटा और जूते मारते हुए हवालात में बंद करने की धौंस दे डाली। युवक ने विरोध किया तो झूठे केस में जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित ने गुंडागर्दी कर रहे थानेदार की शिकायत 112 पर की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय पाने के लिए पीड़ित ने मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त आदि को ईमेल से शिकायत भेजी। सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित मिनी सचिवालय बल्लभगढ़ के गेट पर धरना दे रहा है।

पीड़ित अतुल कुमार 2019 में बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। वह सांस्कृतिक संगठन देव सेना से जुड़े हैं। अतुल कुमार के मुताबिक इस बार उनका संगठन आदर्श नगर के रामलीला ग्राउंड में होलिका दहन करने की तैयारी कर रहा था। इसका विरोध स्थानीय भाजपा नेता कैलाश वशिष्ठ ने किया और उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। मामले में अपना पक्ष रखने के लिए वह संगठन के अन्य सदस्यों के साथ 16 मार्च को आदर्शनगर थाने गए थे। वहां दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठा थे। अतुल

ने अपने मोबाइल से लाइव वीडियो वायरल कर दी। उनकी यह बात एसएचओ कुलदीप कुमार को इतनी बुरी लगी कि बिना कोई चेतावनी दिए उन्हें पटक दिया और पिटाई कर दी। अतुल ने विरोध किया तो जूते मारते हुए हवालात में दे देने और झूठे केस में जेल भेज देने की धमकी दे डाली। अतुल ने तुरंत ही 112 पर कॉल कर एसएचओ के खिलाफ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करने का आग्रह किया लेकिन शिकायत सुनने वाले ने तवज्जो नहीं दी। न्याय पाने के लिए अब वह धरने पर बैठे हैं। जब पुलिस एक राजनैतिक-सामाजिक पहचान वाले और टैक्स अदा करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह पेश आती है तो आम आदमी की बिसात ही क्या?

इस मामले में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा से पुलिस का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन हमेशा की तरह उनका फोन नहीं उठा। बुधवार को डीसीपी बल्लभगढ़ कुशलपाल सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि पीड़ित से अभी-अभी बात हुई है। उन्हें दो दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करने को कहा गया है।

इसके विपरीत पीड़ित अतुल का कहना है कि दो दिन का क्या मतलब? वारदात हुए सप्ताह से ऊपर हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कानूनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अपराधी एसएचओ के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? जब तक उस अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होगा उसका आन्दोलन जारी रहेगा। सामान्य नागरिकों के जनतांत्रिक मानवाधिकारों को बचाये रखने के लिये ऐसे उद्दंड पुलिसियों के विरुद्ध संघर्ष करना निहायत जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश थाने में लगें सीसीटीवी कैमरे

पुलिस थानों में होने वाली गुंडागर्दी और मारपीट पर नकेल कसने के लिए थानों के भीतर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश है। खुद तो इन पुलिस वालों ने क्या कैमरे लगाने थे, अपने ऊपर होने वाली गुंडागर्दी का वीडियो बनाने का प्रयास करने पर ही एसएचओ कुलदीप कुमार पीड़ित पर टूट पड़े। पीड़ित को चोट तो आई हीं मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गया। अतुल का आरोप है कि एसएचओ कुलदीप शिकायतकर्ता कैलाश वशिष्ठ का पक्ष लेकर दबाव बना रहे थे, वीडियो में यह वायरल होने से उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न उठते। यही कारण है कि उन्होंने कैमरा बंद कराने के लिए अतुल पर हमला बोल दिया। जाहिर है यह सब उद्दंडता एसएचओ अपने मालिकान यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के छुटभैये के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए कर रहा था।

आवारा कुत्ते-सांड लोगों पर कर रहे हमला

कोर्ट के आदेश की आड़ में चुपचाप बैठा नगर निगम प्रशासन

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में रविवार शाम अपने घर के बाहर खेल रही आठ साल की बच्ची खुशी को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह नोच डाला। परिवार वाले बचाने का प्रयास करते रहे लेकिन कुत्ता एक शिकार की तरह बच्ची पर हमला करता रहा। काफ़ी मशक्कत के बाद बच्ची को छुड़ाया जा सका। यहीं चावला कॉलोनी में सोमवार शाम एक बुजुर्ग को सांड ने अपने सींग में उलझा कर दूर फेक दिया। उनका बीके अस्पताल में इलाज चल रहा है। आवारा पशुओं से आम आदमी की रक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। निगम अधिकारी न्यायालय के आदेश का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं।

बीके सिविल अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना औसतन 32-35 केस

आवारा कुत्तों की शिकार बच्ची

कुत्ता काटने के आते हैं। इससे कहीं ज्यादा केस ईएसआई अस्पताल में पहुंचते हैं। इसी तरह आवारा जानवर के हमले से घायल होने के छह से आठ मामले बीके आते हैं। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण और उन पर अंकुश लगाने का काम नगर निगम के जिम्मे है। इसी तरह लावारिस गाय-सांड को पकड़ कर गौशाला या कांजी हाउस में रखने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण, उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण कराना भी निगम का काम है। आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाना तो दूर शहर में उनकी संख्या कितनी है निगम के अधिकारियों को तो यह भी नहीं पता। यानी इनकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी प्रभजोत कौर ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम आवारा पशुओं को पकड़ कर रख नहीं सकते। यदि कोई पशु बीमार होता है तो एनजीओ के सहयोग से उसका इलाज करवा कर उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां से उसे पकड़ा गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि कुत्तों की रक्षा के लिए तो कोर्ट का आदेश तो प्रभावी हो रहा है लेकिन जिन नागरिकों के खून पसीने की कमाई से यह नगर निगम फल फूल रहा है उन नागरिकों की रक्षा कौन करेगा। क्या इन अधिकारियों को संविधान में दिए गए सुख चैन से जीने के अधिकार की चिंता नहीं है? यह कुत्तों के तथाकथित अधिकारों की रक्षा तो ज्यादा करते हैं इंसानों की रक्षा की इन्हें कोई चिंता नहीं है। जनता को वरगलाने के लिए दावे किए जाते हैं कि कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण किया जा रहा है। इस काम पर लंबा चौड़ा बजट भी डकारा जा रहा है लेकिन यह बताने को कोई भी तैयार नहीं है कि कौन से कुत्ते का कहां और कब नसबंदी और टीकाकरण किया गया। जो शासन व्यवस्था इंसानों का टीकाकरण तो कर नहीं पा रही, वह कुत्तों का क्या करती होगी समझा जा सकता है। इसके लिए जनता को प्रशासन के भरोसे रहने के बजाय कुत्तों से निपटने के लिए खुद ही अपना हाथ जगन्नाथ करना होगा।